From

Professor and Head
Deptt. of Veterinary. Pathology
LUVAS, Hisar

To

The Registrar/ Dean, COVS/ All HOD/PRO, LUVAS, Hisar
Deputy Estate Officer, CCSHAU, Hisar
Secretary, Municipal Corporation, Hisar
Employment Officer, Hisar
Labour Officer, Hisar

Memo No.VPP/19/ 245-84
Dated: 11/02/2019

Subject: Regarding contract of lifting animal carcasses after post-mortem.

The contract for lifting of animal carcasses after conducting post-mortem examination will be renewed for year 2019-20 (01.04.2019 to 31.03.2020) for the Department of Veterinary Pathology. I am enclosing herewith a copy of tender notice along with terms and conditions of the contract for giving wide publicity.

11/2/19

Prof. & Head

CC: 1. Website Incharge, LUVAS, Hisar is requested to display the tender notice on the website.

2. Internal(Office Asst)

लाला लाजपतराय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार
वैटनरी पैथोलोजी विभाग

मृत पशुओं को उठवाने के बारे में टैंडर नोटिस

मृत पशुओं–जानवरों व पक्षियों को पोस्टमार्टम परीक्षण के बाद उठाने हेतु एक वर्ष की अवधि (01.04.2019 से 31.03.2020 / ठेका छुटने की तारीख से एक साल की अवधि जो भी पहले हो) के ठेके की निविदा सीलबन्द लिफाफे में 10000 / – रूपए (दस हजार रूपए) की अग्रिम राशि सहित डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जोकि कम्पट्रोलर, लाला लाजपतराय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार में सीलबन्द लिफाफे में रजिस्टर्ड डाक द्वारा / दस्ती दिनांक **21.02.19** तक कार्यालय बन्द होने (दोपहर 4.00 बजे) तक पहुंच जाने चाहिये। टैंडर फार्म, नियम व शर्तें पत्र सहित दिनांक **15.02.2019 से 21.02.2019** तक कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं जिसकी कीमत **100** रूपए देनी होगी।

सील्ड निविदाएं **23.02.19** समय **10.00** बजे अधिकृत कमेटी के समक्ष विभागाध्यक्ष के कार्यालय में खोली जाएंगी। सबसे अधिक निविदा राशि भरने वाले व्यक्ति को ठेका दिया जाएगा। विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदा मान्य नहीं होगी व रद्द कर दी जाएगी।

14/2/19

(डॉ. गुलशन नारंग)
विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि :

1. रोजगार अधिकारी, हिसार।
2. लेबर अधिकारी, हिसार।
3. आफिसर इन्चार्ज, कम्पयूटर सैन्टर, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार।
4. सभी विभागों के नोटिस बोर्ड, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार।
5. सचिव, नगर निगम हिसार।

लाला लाजपतराय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार
वैटनरी पैथोलोजी विभाग

विषय : मृत पशुओं–जानवरों व पक्षियों को पोस्टमार्टम परीक्षण के बाद उठवाने हेतु निविदा, नियम व शर्तें।

पोस्टमार्टम हाल व पशु चिकित्सालय से मृत पशुओं व पक्षियों को उठवाने के लिए ठेकेदारों द्वारा 10,000/– रूपये के डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा अग्रिम राशि सहित भरे हुए निविदा 21.02.2019 सायं 4.00 बजे तक वैटनरी पैथोलोजी विभाग में रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/दस्ती (By Hand) द्वारा पहुंचाने होंगे। उनके निविदा 23.02.2019 को सुबह 10.00 बजे वैटनरी पैथोलोजी विभाग में अधिकृत कमेटी के समक्ष खोले जाएंगे। विलम्ब से प्राप्त होने वाले टैंडर मान्य नहीं होंगे व रद्द कर दिये जाएंगे।

1. ठेके की अवधि 12 महीने के लिए होगी। यह अवधि 01.04.2019 से 31.03.2020 तक होगी जो कि घटाई व बढ़ाई भी जा सकती है।
2. पोस्टमार्टम हाल व पशु चिकित्सालय से मृत पशुओं व पक्षियों को डालने के लिए ठेकेदार को जगह की व्यवस्था खुद करनी होगी। ट्रैक्टर–ट्राली की ऊंचाई इतनी हो कि मृत–पशु दिखाई न दें, मृत पशु तिरपाल आदि से ढका हुआ हो व उसे चार दीवारी में डालना होगा तथा मृत–पशु की खाल 5–6 फुट गहरे गड्ढे में उतारनी होगी। विश्वविद्यालय मृत पशुओं व पक्षियों को डालने का स्थान उपलब्ध नहीं करवायेगा।
3. जिस ठेकेदार की निविदा प्रथम नम्बर पर होगी उसकी अग्रिम राशि ठेके की अन्तिम तिथि तक जमा रहेगी व ठेका पूरा होने पर लौटाई जाएगी। इसके साथ ही इस निविदा में भरी हुई राशि ठेका शुरू होने से पहले तक अवश्य ही जमा करवाना होगा। प्रथम नम्बर के ठेकेदार द्वारा नियम व शर्तें पूरी न करने पर उसकी अग्रिम राशि जब्त कर ली जाएगी तथा ठेका रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा कार्यवाही भी की जा सकती है।
4. जिस ठेकेदार की निविदा दूसरे स्थान पर आएगी उसकी अग्रिम राशि 01.04.2019 तक रोक ली जाएगी। यदि प्रथम स्थान पर आने वाला ठेकेदार नियम व शर्तें पूर्ण रूप से पालन नहीं करेगा तो ठेका दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली निविदा वाले ठेकेदार के नाम छोड़ दिया जाएगा तथा उसे भी विभाग के नियम व शर्तें पूरी करनी होगी।
5. प्रथम स्थान व दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली निविदा को छोड़कर अन्य ठेकेदारों को अग्रिम राशि मौके पर ही निविदा खुलने के बाद लौटा दी जाएगी।
6. कमेटी बिना कारण बताए निविदा को रद्द कर सकती है।
7. ठेकेदार को सभी प्रकार के मृतक जानवर, कुत्ता एवं मुर्गियों सहित पोस्टमार्टम हाल से व पशु चिकित्सालय से उठाने होंगे।
8. मृतक पशुओं को पोस्टमार्टम हाल व पशु–चिकित्सालय से उठाने का समय सायं 3 बजे सर्दियों में और 12 बजे गर्मियों में होगा।
9. विभागाध्यक्ष, वी.सी.सी. के चाहने पर ठेकेदार को मृतक जानवरों को पशु–चिकित्सालय से पोस्टमार्टम हाल तक ले जाने की जिम्मेवारी होगी।
10. अगर मृतक जानवर 24 घण्टे के अन्दर नहीं उठाये गये तो पैथोलोजी विभाग उनके उठाने की व्यवस्था करेगा, जिसका खर्च ठेकेदार को वहन करना होगा।
11. यदि ठेकेदार लगातार तीन बार मृतक जानवरों को उठाने के लिए असफल रहता है तो उसकी जमा राशि जब्त कर ली जायेगी और भविष्य में ठेकेदारी नहीं दी जायेगी। निर्णय पैथोलोजी विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा जो कि ठेकेदार को बाध्य होगा।
12. ठेकेदार को एक अनडरटेकिंग देनी होगी। ऐसा न होने की अवस्था में विभागाध्यक्ष को उसकी अग्रिम राशि जब्त करने का पूरा अधिकार होगा।
13. ठेकेदार मृतक जानवर को इस प्रकार उठाएगा कि जनस्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न पड़े। मृतक पशुओं को उठाने का खर्चा ठेकेदार का होगा। ठेकेदार मृतक पशुओं के अवशेशों को इस प्रकार कहीं नहीं डालेगा जिसका बुरा प्रभाव जनस्वास्थ्य व पशुओं पर पड़े। किसी प्रकार की शिकायत से ठेका रद्द किया जा सकता है, यदि इस विषय में कोई कानूनी कार्यवाही होती है इसके परिणाम की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। ठेकेदार किसी भी सांझेदारी व अन्य किसी को ठेका नहीं देगा। यदि ऐसा हुआ तो उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा। ठेकेदार व उसके कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार व असंतोषजनक कार्य हुआ तो बगैर अग्रिम सूचना से ठेकेदारी रद्द कर दी जायेगी।

14 मृतक जानवरों को शहर व सार्वजनिक स्थानों से ले जाते समय ढक कर ले जाना होगा।
15 एमरजैंसी स्थिति में ठेकेदार को बुलाये जाने पर एक घण्टे के अन्दर वाहन सहित जानवर उठाने के लिए हाजिर होना पड़ेगा।
16 मृतक जानवरों को उठाने के बाद उस जगह की सफाई की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
17 डीन, वैटरनरी कालेज, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार को किसी प्रकार के झगड़े को निपटाने का पूरा अधिकार होगा और उसका फैसला ठेकेदार को बाध्य होगा।
18 विभागाध्यक्ष, वी.सी.सी. के चाहने पर सिजेरियन आप्रेशन के बाद मृतक बच्चे को पशु–चिकित्सालय से उठवाने की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
19 यदि मृतक पशु ऐसी बीमारी से मरा है जिसका जनस्वास्थ्य व पशुओं पर बुरा असर हो सकता है, बीमा किए हुए पशुओं तथा बैट्रोलिगल केस से सम्बन्धित पशु को उठाने का फैसला हैड, वैटनरी पैथोलोजी अथवा विभागाध्यक्ष,वी.सी.सी. के आदेशानुसार होगा।
20 यदि ठेकेदार मृत पशुओं को अनुचित तरीके से अनुचित जगह पर डालता है और किसी प्रकार की शिकायत पर ठेकेदार ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगा।
21 पर्यावरण नियमों व अन्य सरकारी नियमों का पालन करना होगा।

क्रमांक न.
दिनांक :

5/2/19

(डॉ. गुलशन नारंग)
विभागाध्यक्ष, वैटनरी पैथोलोजी विभाग

इसकी एक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजी जाती है –

1. कुलसचिव, लाला लाजपतराय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार।
2. अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, लाला लाजपतराय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार।
3. सचिव, नगर निगम, हिसार।
4. सभी विभागाध्यक्ष, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, हिसार।
5. डिप्टी एस्टेट आफिसर, चौ.च.सि.ह.कृ.वि., हिसार।
6. लोक सम्पर्क अधिकारी, लाला लाजपतराय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार।
7. रोजगार अधिकारी, हिसार।